आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1 | 2

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 05/2017–18
अकलु साहा
बनाम
अंचल अधिकारी, बरहरवा वगै0
आदेश

15.11.2017

अभिलेख उपस्थापित। यह नामांतरण अपील वाद अपीलार्थी अकलु साहा, पिता– स्व0 इन्द्रदेव साहा, सा0– मयुरकोला, थाना– कोटालपोखर, जिला– साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 1325/2016–17 में दिनांक 25.03.2017 के पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किये हैं, साथ ही अपीलार्थी के द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 05 के तहत् कालक्षन्ति आवेदन दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 29.07.2017 को वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी:–

मौजा	जमाबंदी नं0	दाग नं0	रकबा
मयूरकोला	27	303	01 बीघा 18 कट्ठा
		279	01 बीघा 05 कट्ठा
		313	10 कट्ठा
		555	10 कट्ठा
		486	03 कट्ठा
कुल			04 बीघा 06 कट्ठा

आज अपीलार्थी की ओर से वकालतनामा हाजरी है। उत्तरवादी अनुपस्थित। फलस्वरूप अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा मयूरकोला के जमाबंदी नं0 27 दाग नं0 303, 279, 313, 555 एवं 486 की जमीन अपीलार्थी ने जमाबंदी रैय्यत राजेन्द्र प्रसाद साहा से निबंधित विक्रय केवाला सं0 1232 दिनांक 25.02.1985 के द्वारा क्रय कर प्राप्त किये हैं। उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अपीलार्थी ने अंचल अधिकारी, बरहरवा के समक्ष आवेदन दायर किये। अंचल अधिकारी, बरहरवा ने संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की माग किये। अचल अधिकारी बरहरवा ने हल्का कर्मचारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए दिनांक 25.03.2017 को संदेहास्पद आदेश पारित किये हैं, जबकि हल्का कर्मचारी के द्वारा लगान रसीद सं0 2053863 अपीलार्थी के नाम से निर्गत किया गया है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अपीलार्थी के द्वारा दायर अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 1325/2016–17 में दिनांक 25.03.2017 में दिनांक 25.03.2017 के पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) करने एवं अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किये हैं।

इस नामांतरण अपील वाद में उत्तरवादी कभी भी उपस्थित नहीं हुए हैं एवं आज भी अनुपस्थित है। लेकिन दिनांक 10.10.2017 को राजेन्द्र प्रसाद की ओर से निबंधित पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने निबंधित पत्र के माध्यम से संक्षिप्त में सूचित किया है कि मौजा मूयरकोला के जमाबंदी नं0 27 दाग नं0 279, 303, 313,486, 555 की कुल जमीन 08 बीघा 19 कट्ठा 09¼ धूर जमीन 1954 में केवाला सं0 1425 के जरिये राजेन्द्र प्रसाद एवं बड़े भाई युवराज साव प्रसाद के नाम से 1954 में क्रय कर प्राप्त किये है तथा पर्ची II में दोनों भाई राजेन्द्र प्रसाद एवं युवराज साव प्रसाद का नाम दर्ज है। अकलू साहा के द्वारा केवाला सं0 1232 दिनांक 25.02.1985 के द्वारा राजेन्द्र प्रसाद से जमीन क्रय कर प्राप्त किये बताते है, जबकि केवाला सं0 1232 दिनांक 25.02.1985 फर्जी एवं जाली है। क्योंकि वर्णित जमीन मैंने या मेरे भाई ने बेची ही नहीं है एवं केवाला में दिखाये गये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। उक्त अवधि में हम दोनों भाई सरकारी विभाग में नौकरी करते हुए कर्त्तव्य पर थे। उन्होंने आगे कहा कि अकलू साह एवं उनके भाई के द्वारा मेरे जमीन को हडपने की नीयत से किसी अन्य व्यक्ति को मेरे स्थान पर खड़ा कर फर्जी तरीके से बिक्रीनामा दस्तावेज तैयार करना चाहता है। अतः राजेन्द्र प्रसाद ने केवाला सं0 1232 दिनांक 25.02.1985 के जरिये नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना किये है।

16/11/17

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी, बरहरवा के पत्रांक 861/रा0, दिनांक 16.08.2017 के द्वारा नामांतरण वाद सं0 1325/16–17 का मूल अभिलेख प्राप्त। अंचल अधिकारी, बरहरवा के नामांतरण वाद सं0 1325/16–17 के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

1. संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित जमीन पंजी II में युवराज प्रसाद साहा वो राजेन्द्र प्रसाद साहा पिता राजकुमार साहा के नाम से दर्ज है। क्रेता ने सिर्फ राजेन्द्र साहा से निबंधित केवाला सं0 1232 दिनांक 25.02.1985 के द्वारा क्रय किया एवं पंजी II के जमाबंदी रैयत युवराज प्रसाद साहा का निबंधित केवाला में गवाह के रूप में कोई हस्ताक्षर नहीं है। स्थलीय जाँच में पाया कि वर्णित आवेदित जमीन जमाबंदी रैयत के ही दखल भोग में है जिससे आवेदक के दखल के मामले में विरोधाभाष प्रतीत होता है। जमाबंदी रैयत राजेन्द्र प्रसाद साहा द्वारा आपत्ति भी की गई है कि मेरे द्वारा मेरे हस्ताक्षर से जमीन की बिक्री नहीं कि गई है। ऐसी परिस्थिति में नामांतरण करना उचित नहीं है। अंचल निरीक्षक ने भी संबंधित हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन के आधार पर नामांतरण अस्वीकृत करने का अनुशंसा किये हैं।
2. उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, बरहरवा ने भी अपीलार्थी के नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत किये है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल मूल आवेदन एवं उत्तरवादी के निबंधित पत्र के द्वारा प्राप्त कागजात के अवलोकन से निम्न तथ्य सामने आते हैं:–

1. संबंधित हल्का कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि वर्णित जमीन जमाबंदी रैयत के ही दखल भोग में है तथा राजेन्द्र प्रसाद साहा के द्वारा आपत्ति भी की गयी है कि मेरे हस्ताक्षर से जमीन की बिक्री नही की गई है। ऐसी परिस्थिति में नामांतरण करना उचित नहीं है।
2. उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, बरहरवा ने भी अपीलार्थी अकलू साहा के द्वारा दायर नामांतरण वाद सं0 1325/16–17 को अस्वीकृत किये हैं।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत अपीलार्थी द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति मूल अभिलेख के साथ अंचल अधिकारी, बरहरवा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner